भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3659

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

आईआरडीएआई का मिशन "सभी के लिए बीमा"

3659. श्री सनातन पांडेय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 2047 तक "सभी के लिए बीमा" का एक महत्वाकांक्षी मिशन निर्धारित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सभी हितधारकों के साथ परामर्श सहित इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक नीति, रोडमैप या श्वेत पत्र तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे रोडमैप को तैयार करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मिशन के अनुरूप सभी नागरिकों और उद्यमों के लिए किफायती और उचित बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 6 मई, 2022 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में वर्ष 2047 तक "सभी के लिए बीमा" के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सभी के लिए बीमा के विजन के अनुरूप भारत में बीमा की पैठ और घनत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से, इरडाई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. बीमा कंपनियों को बीमा समावेशन को बढ़ाने के लिए सभी आयु और जोखिम समूहों के लिए उत्पाद तैयार करने के लिए अधिदेशित किया है
ii. बीमा कंपनियों हेतु व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन दायित्व को कम करना और सरलीकृत विनियमों को आसान बनाना
iii. बीमा कंपनियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति वर्ष 10% से अधिक प्रीमियम नहीं बढ़ाना

iv. पॉलिसीधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना

सरकार ने नागरिकों के लिए वहनीय बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न बीमा योजनाएं शुरू की हैं जिससे कि सभी के लिए बीमा के विजन में सहायता मिल सके। ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 436/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है।
ii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18-70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी दिव्यांगता के मामले में 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी दिव्यांगता के मामले में 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है।
iii. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) अस्पताल में द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल के लिए प्रति परिवार ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
iv. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ के लिए किसान प्रीमियम 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% तय किया गया है।

******